

H.P POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(A State Government Undertaking)

Barowalias House, Khalini, Shimla-2

Ph: 0177-2626283, Fax: 2626284

PUBLIC NOTICE

This is for the information of all concerned public at large that HP Govt. has accorded for diversion of **0.4285 hac.** of forest land for non forest purposes namely for the construction of 33/220 kV. 80/100 MVA Gas Insulated Sub- Station at Phojal, Village Shin, P.O. Dobhi, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Kullu, H.P. in favour of Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. in Kullu, H.P. District of Himachal Pradesh, Vide. No. FFE-BF(2)-3/2013(FCA) DATED 6.3.2013. terms and conditions as imposed by Ministry of Environment and Forests, Govt. of India while Granting approval for diversion of forest land Vide Letter No., F. No. 9-HPB676/2012 – CHA dated 26.02.2013 have been fully incorporated in this sanction letter dated 6.3.2013, the sanction aforesaid is reproduced in verbatim as below:-

General Manager (Project)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Order

Dated Shimla-171002, the

विषय :- Diversion of 0.4285 hectare of forest land in favour of HP Power Transmission Corporation Ltd, for the construction of 33/220 kV. 80/100 MVA Gas Insulated Sub-Station at Phojal, Village Shin, P.O. Dobhi, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB676/2012 - CHA दिनांक 26.02.2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 0.4285 hectare वन भूमि को 33/220 kV. 80/100 MVA Gas Insulated Sub- Station at Phojal, Village Shin, P.O. Dobhi, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Kullu, H.P., में निम्न शर्तों पर हिमाचल प्रदेश पावर संचार निगम (HPPTCL) को को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष/Saplings कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार छब्बीस वृक्षों और 8 Saplings से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 2/42-C-IV Land Bank में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 126700 (एक लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र) की राशि से कुल 1.00 hectare निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 The user agency shall furnish and undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of the hon'ble Supreme Court of India.
- 5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिए सभी सुरक्षा उपाये/पूर्वउपाय दृढ़तापूर्वक किये जायेंगे।
- 6 सीमेंट कंकरीट के खम्बों जिन पर आगे तथा पिछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी से द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 9 उपरोक्त सब-स्टेशन के निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।



अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, ... 4/3/13